

केंद्रीय विद्यालय संगठन (शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार)

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, (Ministry of Education, Department of School Education & Literacy, Govt. Of India)

क्षेत्रीय कार्यालय , डीरेका , कंचनपुर , वाराणसी -221004 REGIONAL OFFICE, DLW, KANCHANPUR, VARANASI -- 221004

E-mail-kvsrovns@gmail.com,website-www.kvsrovns.org,

F No .43051/2023-2024/केविसं(क्षे.का.) वाराणसी/ 2544-89

दिनांक: 05.09.2023

कार्यालय आदेश

केविसं(मु.) नई दिल्ली के पत्रांक .11-55/2000-केविसं (सतर्कता)/पीटी-1/1311-1352 दिनांक 5/28.03.2019 एवं दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 से प्रभावी "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4(2) के तहत निर्धारित प्रावधानों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत शिकायतों के निवारण हेतु, क्षेत्रीय स्तर पर निम्नलिखित सदस्यों वाली आंतरिक शिकायत समिति का प्नर्गठन गठित किया जाता है:

क्रम सं.	नाम पदनाम सहित	समिति में धारित पद	200
1.	डॉ. शालिनी दीक्षित, सहायक आयुक्त, केविसं, वाराणसी संभाग	पीठासीन अधिकारी	अधिकार क्षेत्र क्षेत्रीय कार्यालय में अनुभाग अधिकारी स्तर (वित अधिकारी को छोड़कर) तथा क्षेत्रीय कार्यालय के अधीनस्थ प्राचार्यों, उप-प्राचार्यों तथा मुख्याध्यापकों के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच करना।
2.	श्रीमती कमलेश सिंह चौहान, सचिव Let Us Live Foundation (NGO)	गैर सरकारी संगठन सदस्य (NGO Member)	
3.	श्री कृष्णा प्रसाद यादव, प्राचार्य, केवि अमहट, सुल्तानप्र	सदस्य (NGO Member)	
1.	डॉ. अपर्णा सक्सेना, प्राचार्य, केवि गोंडा	सदस्य	

समिति के पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगे:

- 1. जांच के लिए तारीख और समय तय करने के लिए एनजीओ सदस्य और अन्य सदस्यों के साथ समन्वय करें।
- 2. एनजीओ सदस्य के साथ समन्वय करके दौरे के कार्यक्रम की योजना एवं सुविधा बनाएं |
- 3. कार्यस्थल पर यौन उत्पीइन की शिकायतों की जांच अधिनियम में निर्धारित प्रक्रियाओं और समय-सीमा और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से की जानी चाहिए ।
- 4. महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करते समय एक एनजीओ सदस्य का होना अनिवार्य है।
- 5. शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर अपनी टिप्पणियों/सिफारिशों के साथ विशिष्ट निष्कर्षों और सहायक दस्तावेजों के साथ जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ठीजम कुमार मिन्ना (अजय कुमार मिश्र)

- 1. डॉ. शांतिनी दीक्षित, सहायक आयुक्त, केविसं, वाराणसी संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
- श्री कृष्णा प्रसाद यादव, प्राचार्य, केवि अमहट, सुल्तानपुर को सूचनार्थ ।
- डॉ. अपर्णा सक्सेना, प्राचार्य, केवि गोंडा को सूचनार्थ |
- श्रीमती कमलेश सिंह चौहान, सचिव, Let Us Live Foundation (NGO), 92 -ई, रमन का पुरवा, सुलेमसराय, प्रयागराज को
- 5. श्रीमती सोमा घोष, सहायक आयुक्त, केविसं(क्षे.का.), पटना को सूचनार्थ |
- 6. श्री श्रीधर पाण्डेय, प्राचार्य, केवि न.4 वाराणसी |
- 7. श्री राजीव कुमार तिवारी, प्राचार्य, केवि ओल्ड कैंट , प्रयागराज को सूचनार्थ ।
- 8. सहायक आयुक्त (सतर्कता) , केविसं(मु.) नई दिल्ली को सूचनार्थ |
- 9. उपायुक्त, केविसं(मु.), नई दिल्ली को सूचनार्थ |
- 10. समस्त प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय, वाराणसी संभाग |
- 11. समस्त अधिकारी / कर्मचारी, केविसं(क्षे.का) वाराणसी संभाग को सूचनार्थ |



केंद्रीय विद्यालय संगठन (शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार)

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, (Ministry of Education. Department of School

Education & Literacy, Govt. Of India)

क्षेत्रीय कार्यालय , डीरेका , कंचनपुर , वाराणसी -221004 REGIONAL OFFICE , DLW, KANCHANPUR, VARANASI --221004

E-mail-kvsrovns@gmail.com,website-www.kvsrovns.org,

F No .43051/2023-2024/KVS(RO)VNS/ 2544-89

Dated 05.09.2023

OFFICE ORDER

In the light of KVS(HQ), New Delhi letter no .11-55/2000-केविसं (सतर्कता)/पीटी-1/1311-1352 दिनांक 5/28.03.2019 and in terms of provisions and guidelines laid down under section 4(2) of the Sexual Harassment of woman at workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act,2013 enforced on 9th December,2013, the Internal Complaints Committee at Regional level comprising of the following members is hereby re-constituted for the redressal of the complaints of the nature defined in the act .

S No.	Name & Designation of the member	Designation in the ICC	Jurisdiction
1.	Dr. Shalini Dikshit, Assistant Commissioner	Presiding Officer	To inquire into the complaints of sexual harassment at work place against the officials at the Regional Office level up to the level of SO (Excluding FO) and against Principals, Vice-Principals & HMs of the Region.
2.	Mrs. Kamlesh Singh Chauhan, Secretary of Let Us Live Foundation (NGO)	NGO Member	
3.	Mr. Krishna Prasad Yadav, Principal , KV Amhat Sultanpur	Member	
4.	Dr. Aparna Saxena, Principal, KV Gonda	Member	

The presiding officer of the committee will ensure the following:

- 1. Co-ordinate with NGO member and other members to fix the date and time for conduct of inquiry.
- 2. Co-ordinate with NGO member and plan & facilitate the tour programme.
- The Inquiry into the complaints of sexual harassment at workplace is to be conducted strictly as per the procedures and timelines prescribed in the act and the guidelines issued from time to time by the Govt. of India.
- 4. It is mandatory to have one NGO member while investigating the cases of Sexual Harassment of women employees.
- Submission of Inquiry Report with Specific findings and supporting documents along with her comments/ recommendation within a period of one month from the date of receipt of a complaint.

(Ajai Kumar Mishra)
Deputy Commissioner

Distribuation:

- 1. Dr. Shalini Dikshit, Assistant Commissioner, KVS(RO)Varanasi for information and necessary action.
- 2. Mr. Krishna Prasad Yadav, Principal, KV Amhat Sultanpur for information .
- 3. Dr. Aparna Saxena, Principal, KV Gonda for information and necessary action.
- 4. Mrs. Kamlesh Singh Chauhan, Secretary, Let Us Live Foundation, 92-E, Ramman Ka Pura, Sulem Sarai, Prayagraj necessary action.
- 5. Mrs. Soma Ghosh, Assistant Commissioner, KVS(RO) Patna for information.
- 6. Mr Shirdhar Pandey, Principal, KV, NO.4 Varanasi for information.
- 7. Mr.Rajiv Kumar Tiwari, Principal, KV, Old Cantt Prayagraj for information.
- 8. The Assistant Commissioner (Vig.) KVS(HQ) for information.
- 9. The Deputy Commissioner, KVS(RO) Patna for information.
- 10. The Principals, All Kendriya Vidyalayas of Varanasi Region.
- 11. All Officers/ Emplyoees of KVS(RO) Varanasi for information.